सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0–94/2023 **दिनांक– 13 मार्च 2023**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

गैगेस्टर एक्ट में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना- थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 527/22 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़ विरुद्ध 1. अजय सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र सत्यनरायण सिंह निवासी वीरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 2. फेंकू मौर्या पुत्र सरजू मौर्या ग्राम वीरपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़, 3. मुर्तजा पुत्र जानमोहम्मद निवासी ग्राम वीरपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ जनपद आजमगढ़, 4. चन्द्रकेश यादव पुत्र अवधू यादव निवासी निवासी ग्राम मोजरापुर थाना कोतवाली आजमगढ़, 5. रमाकान्त यादव उर्फ साधु यादव निवासी पुत्र रामाश्रय यादव निवासी नगवा मैदो थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 6. विशेष सिंह उर्फ विक्की सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह निवासी रैदोपुर (एलवल) थाना कोतवाली आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:श्रीमान दिनांक- 13.03.2023 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त फेकू मौर्य उर्फ नथूनी पुत्र सरजू मौर्य ग्राम बीरपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ को उसके घर ग्राम बीरपुर से समय 8.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0स0 527/22 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्टथाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 18/19 धारा 272/273/419/420/467/468/471 भादवि व 60(3)(6) आबकारी अधिनियम व 60 ट्रेड मार्क अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. फेंकू मौर्या पुत्र सरजू मौर्या ग्राम वीरपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- एसओ विनय कुमार सिंह मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना देवगांव, आजमगढ़

चोरी की विभिन्न घटनाओ में शामिल वांछित अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी के जेवरात व बर्तन बरामद

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- पूर्व में थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरो द्वारा विभिन्न चोरी की घटना कारित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 22/2023 धारा 457/380 भादवि, मु0अ0सं0 32/2023 धारा 457/380 भादवि मु0अ0सं0 33/2023 धारा 457/380 भादवि, मु0अ0सं0 68/2023 धारा 457/380 भादवि मु0अ0सं0 71/2023 धारा 457/380 भादवि, मु0अ0सं0 353/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 13.03.2023 को व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह को सूचना मिली की एक व्यक्ति बुढ़ऊ बाबा मन्दिर के पास कुछ चोरी के बर्तन पास में रखकर कही भागने की फिराक में किसी वाहन का इंतेजार कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम अफरोज पुत्र कमालुद्दिन निवासी कस्बा देवगाँव थाना देवगाँव आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया तथा उसके कब्जे से चोरी के बर्तन बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे मित्र सोनू जायसवाल की माँ सुनीता जायसवाल तथा चेवार गोवर्धनपुर निवासी सुनीता यादव घूम फिर कर सुनसान व तालाबन्द मकानों व दुकानों की रेकी करती है तथा मै कुन्दन, बाले, फतेह बहादूर, रवि प्रकाश तथा सोनू जायसवाल पुत्र संतोष जायसवाल व चेवार निवासी शेरू यादव उर्फ नीरज यादव पुत्र राजेश यादव फतेह बहादुर के टैम्पू गाड़ी से घूम घूम कर बन्द मकान व दुकान पर चोरी करते है तथा चोरी में मिले सामानों को उसी टैम्पू में लादकर सुरक्षित स्थान पर रखकर ग्राहक तलाश कर बेचकर मिलने वाले रूपये को आपस में बांटकर मिले रूपयों से अपना व अपने परिवार का खर्च चलाते हैं।

मै अपने मित्र कुन्दन, बाले, फतेह बहादूर, रवि प्रकाश तथा सोनू जायसवाल, शेरू यादव उर्फ नीरज यादव के साथ दिनांक 29.01.2023 को ग्राम कलिचाबाद में एक मकान से घर में घूसकर चोरी किये थे जिसमें सोने व चाँदी का जेवरात व साड़िया मिली थी तथा दिनांक 28.01.2023 को ग्राम नन्दापुर में एक सिलाई की दूकान से इन्वर्टर, बैटरी, सिलाई मसीन व कुछ कपड़े और दिनांक 23.01.2023 को मानीकपुर किशुनपुर से एक मकान में घूसकर सोने व चाँदी के जेवरात तथा कुछ रूपये मिले थे।

दिनांक 13.02.2023 को शेखुपुर मे बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के पीछे की खिड़की तोड़कर हमारे उक्त सभी साथियों ने मिलकर दुकान से इन्वर्टर, बैटरी व इलेक्ट्रानिक कांटा व कुछ रूपये चुराये थे तथा दिनांक 14.02.2023 को ग्राम सरूपहां से एक मकान में हम सभी लोग मिलकर उसी टैम्पू से जाकर चोरी किये थे जिसमें मंगलसुत्र, नथिया, पैजनी व कुछ रूपये नकद मिले थे

तथा दिनांक 13.02.2023 को ग्राम सेखुपुर छावनी से एक दूकान से एक इन्वर्टर, बैटरी व इलेन्ट्रानिक काँटा चोरी किये थे। मै व मेरे साथी शेरू यादव, प्यारेलाल प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति सा0 गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर के साथ रामपुर कठरवां में एक मकान से बन्दूक, कारतूस, कपड़े व बर्तन की चोरी भी किये थे। चोरी करने पर मिलने वाले सभी सामानों को उसी टैम्पू पर लादकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया था। मेरे साथियों के पकड़े जाने से मै डर वश आज विभिन्न चोरीयों में मुझे हिस्से में मिले बर्तनों व जेवरों को बेचने हेतु वाराणसी जाने वाला था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। पास में रखे बर्तन उन्ही चोरीयों के हैं। तत्पश्चात् पकड़े गये व्यक्ति अफरोज उपरोक्त की नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैन्ट के बायी जेब से 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 अदद बचकाना पायल सफेद धातु, 01 अदद कड़ा सफेद धातु, 01 जोड़ा तोड़ा सफेद धातु, 01 अदद चैन सफेद धातु, 02 जोड़ा बिछुआ सफेद धातु व 01 जोड़ा कान की बाली सफेद धातु की बरामद हुई तथा पास मे रखे बर्तनों को चेक किया गया तो 02 अदद भगौना बड़ा मय ढक्कन एल्मुनियम, 02 अदद प्लेट स्टील, 08 अदद गिलास स्टील, 01 अदद ट्रे स्टील, 01 अदद चम्मच स्टील, 01 अदद पीतल का लोटा, 01 अदद पीतल की कटोरी, 02 थाली स्टील, 01 थाली पीतल बरामद हुई।

जिसके सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो बताया कि दोनो भगौना मय ढक्कन हम लोगो द्वारा दिनांक 17/18.09.2022 की रात में रामपुर कठरवां से चोरी किये थे और सामान व बर्तन मेरे अन्य साथियों के पास है तथा यह भगौना व ढक्कन मुझे हिस्से में मिला था व शेष बर्तन हम लोगों ने दिनांक 29.01.2023 को ग्राम कलिचाबाद से चुराया था। यह बर्तन मुझे हिस्से में मिले थे जिसे आज मै बेचने हेतु वाराणसी जा रहा था।

तथा बरामद जेवरात के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि यह पायल हम लोगों द्वारा 23.01.2023 को मानिकपुर किशुनपुर तथा चाँदी की चैन, बिछिया व कान की बाली हमारे उक्त साथियों के साथ मिलकर मैने दिनांक 13.02.2023 को साफीपुर सरूपहां से चुराया था तथा एक जोड़ा तोड़ा व कड़ा ग्राम कलिचाबाद से दिनांक 29.01.2023 को चोरी करने में मुझे हस्से में मिले थे।

पकड़े गये व्यक्ति से थाना क्षेत्र में हुई विभिन्न चोरीयों में चोरी गये सम्बन्ध में क्रमश पूछताछ किया गया तो बताया कि जो सामान मेरे पास मिला वह कई स्थानों की चोरीयों में मुझे हिस्से में मिला हुआ बर्तन व जेवर है जिसे अब तक मै बेच नही सका था। अभियुक्त को समय करीब 04.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय भेजा जा रहा हैं।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 71/2023 धारा 457/380 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 942/2009 धारा 323,379,411,427,504 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 22/2023 धारा 457/380 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 32/2023 धारा 457/380 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 33/2023 धारा 457/380 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 68/2023 धारा 457/380 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 71/2023 धारा 457/380 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 353/2022 धारा 457/380 भादवि थाना देवगांव, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तः- अफरोज पुत्र कमालुद्दिन निवासी कस्बा देवगाँव थाना देवगाँव आजमगढ़

बरामदगी-

01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 अदद बचकाना पायल सफेद धातु,
01 अदद कड़ा सफेद धातु, 01 जोड़ा तोड़ा सफेद धातु, 01 अदद चैन सफेद धातु,
02 जोड़ा बिछुआ सफेद धातु व 01 जोड़ा कान की बाली सफेद धातु

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद हे0का0 भानू प्रताप यादव हे0का0 विनोद कुमार यादव थाना देवगांव, आजमगढ़

थाना – अहरौला

अवैध तमंचा, कारतूस व पिकअप वाहन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक-12.03.2023 को उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान केदारपुर पुलिया के पास से अभियुक्त शहनवाज पुत्र अब्दुल रज्जाक उम्र 22 वर्ष ग्राम सलाउद्दीनपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद पिकप जीप नम्बर UP50AT8568 के साथ समय 19.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोगः मु0अ0सं0 66/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- शहनवाज पुत्र अब्दुल रज्जाक उम्र 22 वर्ष ग्राम सलाउद्दीनपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-एक अदद तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद पिकप जीप नम्बर UP50AT8568

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुरेन्द्र नाथ, का0 चन्दन कुमार, का0 उमेश गौड़ तथा का0 अंशुमान ओझा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना कोतवाली जीयनपुर

अवैध तंमचा, कारतूस 12 बोर, चोरी की एक मोटरसाईकिल तथा 25 हजार रूपयें नगद के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 05/03/2023 को वादिनी मुकदमा राधा पुत्री पंचन सिंह ग्राम औन्यड मण्डल थाना दन्नहार जिला मैनपुरी थाना कार्यालय आकर सूचना दिया कि अभियुक्तों द्वारा धोखा देकर शादी कराना व सत्तर हजार नगद व मंगल सूत्र एवं अन्य सामान लेना व पूजा यादव को रास्ते से उतारकर लेकर चले जाना जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0स0 144/23 धारा 406/420 भादवि बनाम- 1.मनोज कुमार पुत्र शिवमणि निवासी ग्राम खिलवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ मो0नं0 8180005640 2. पूजा यादव पुत्री अज्ञात ग्राम पिढवल थाना घोसी जनपद मऊ 3. पूजा यादव का भाई नाम पता अज्ञात 4. पूजा यादव की बुआ की लडकी नाम पता अज्ञात पंजीकृत है, जिसकी विवेचना उ.नि. राजेन्द्र प्रसाद पटेल द्वारा सम्पादित की जा रही है । दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में आभियुक्त 1. मुन्सफ पुत्र कैलाश राम नि0बासगाव थाना तरवा जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में आया । विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक- 13/03/2023 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय,उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1.मनोज कुमार पुत्र शिवमणि नि0खिलवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 2. मुन्सफ पुत्र कैलाश राम नि0बासगाव थाना तरवा जनपद आजमगढ को पकवा ईनार मोड से देवापार बैंक के बीच रोड खडंजा के पास वहद ग्राम अंजानशहीद से समय करीब 09.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त के पास से एक अदद तंमचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व चोरी का एक अदद मोटरसाईकिल व 25000/ रुपया नगद बरामद हुआ उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 166/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग – मु0 अ0 सं0 166/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास –1. मनोज कुमार पुत्र शिवमणि निवासी ग्राम खिलवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	144/2023	406/420 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
2	166/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	जीयनपुर	आजमगढ़
3	131/2023	379/411भा0द0वि0	कोतवाली	आजमगढ़

आपराधिक इतिहास 2.मुन्सफ पुत्र कैलाश राम नि0बासगाव थाना तरवा जनपद आजमगढ

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	144/2023	406/420 भादवि	जीयनपुर	आजमगढ़
2	131/2023	379/411भा0द0वि0	कोतवाली	आजमगढ़

बरामदगी – एक अदद तंमचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व चोरी का एक अदद मोटरसाईकिल व 25000/ रुपया नगद बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.मनोज कुमार पुत्र शिवमणि नि0खिलवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

2. मुन्सफ पुत्र कैलाश राम नि0बासगाव थाना तरवा जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.प्र0नि0 श्री यादवेन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली जीयनपुर, आजमगढ़ ।

2. उ.नि. शंकर कुमार यादव थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।

3. का0 निलेश प्रताप सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़

4. का0 अजय कुमार शर्मा थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़

5. म0का0 अर्चना कुशवाहा थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़

6.म0का0अन्नू यादव थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़ ।